# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-53RAAJodhpur2023-33RTA223 Sahiram Vs Deramaram etc

सहीराम उर्फ सांवरलाल पुत्र सुरताराम, जाति विश्नोई, निवासी- भोजासर, हाल बासवाड़ा नगर, भीयासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

**ब**

**ना**

**म**

1. देरामाराम पुत्र सुरताराम, जाति विश्नोई, निवासी- कालीराणा नगर भोजासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
2. मांगीदेवी पत्नी केवलराम, जाति विश्नोई, निवासी- कालीराणा नगर भोजासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार फलोदी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 27/2022 सहीराम उर्फ सांवरलाल बनाम देरामाराम इत्यादि**

---

**उपस्थित-**

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
पवन चौधरी, अधिवक्ता-अपीलांट
श्री अनोपसिंह, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. तीन

## निर्णय

**दिनांक : 22 जनवरी 2024**

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2022 अनवान सहीराम उर्फ सांवरलाल बनाम

22.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

देरामाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 101, 105, 182, 184 एवं 868 ग्राम बासवाड़ा नगर के संबंध में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 के जरिये प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कानून की घोर अवहेलना की है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। अपीलांट का वाद अपनी पैतृक सम्पति को लेकर खातेदारी घोषणा का वाद था एवं खातेदारी घोषणा की डिक्री करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच ने प्यारेलाल बना सुरेन्द्र पिलानिया के प्रकरण में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि Where Khatedari rights are yet to be decreed claimed must first approach revenue Courts. अपीलांट का मामला खातेदारी घोषण का वाद था। अपीलांट की खातेदारी की घोषणा होने के पश्चात ही सिविल कोर्ट में रजिस्ट्री खारिज का दावा प्रस्तुत कर सकता था। प्रथम अपीलांट के दावे की सुनवाई रेवेन्यु कोर्ट में ही होनी आवश्यक थी। अधीनस्थ न्यायालय

22.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ने अपीलांट के मामले को सिविल नेचर का मानकर निरस्त करने का आदेश विधि विरुद्ध पारित किया है जो काबिल निरस्त है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय के वाद में मुख्य अनुतोष खातेदारी घोषणा का ही था, विक्रय विलेख प्रभाव शून्य करने की घोषणा आनुषांगिक अनुतोष था जो खातेदारी घोषणा के बाद ही किया जा सकता था। इस कारण अपीलांट का वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य था। अपीलांट के वाद निस्तारण के लिए साक्ष्य लिया जाना आवश्यक था, क्योंकि तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है तो साक्ष्य के बाद ही तय किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधि विरुद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। खातेदारी घोषणा का दावा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है एवं इसमें हक शफा का प्रश्न है तो भी मुख्य रिलिफ खातेदारी घोषणा की है। आर.आर.टी.2001(1)पेज 592 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि खातेदारी घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में विचारण योग्य है। मौके पर खसरा नंबर 868 में अपीलांट की ढाणी, पानी का टांका, इत्यादि बने हुए है, जिसका घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में था, जिसे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत बिना कोई साक्ष्य लिए, बिना कोई तनकियात कायम किए खारिज किया है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में भी मुख्य बिंदु पर जो एतराज पेश किया है, जिस पर कानूनी तनकीयात बनाकर ही तय किया जा सकता है। वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट की प्लीडिंग के आधार पर रेस्पोडेंट्स का जवाब दावा पत्रावली पर मौजूद था। इस कारण तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर मैरिट पर ही वाद का निस्तारण करना था, मात्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के

22.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट का वाद कानूनन खारिज नहीं किया जा सकता। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2022 अनवान सहीराम उर्फ सांवरलाल बनाम देरामाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 को खारिज फरमाया तथा मामला मैरिट पर निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपने दावे में पंजीबद्ध विक्रय विलेख जो वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 868 रकबा 2.0153 हैक्टेयर के संबंध में रेस्पो. संख्या एक द्वारा रेस्पो. संख्या दो के पक्ष में निष्पादित किया गया है, को प्रभावहीन एवं शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। कानूनन राजस्व न्यायलय को पंजीबद्ध विक्रय विलेख का निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अपीलांट का दावा राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट ने अपने वाद में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 868

22.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 2.0153 हैक्टेयर को अपने पिता सुरताराम की पारिवारिक सामलाती आय से खरीदी हुई होना बताया तथा प्रतिवादी संख्या दो के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को वादी के हकों तक प्रभावशून्य घोषित किया जाकर पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर तनकीयात कायम किये बिना तथा अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री के जरिये वादी/अपीलांट का दावा खारिज किया जाना पाया जाता है। प्रस्तुत न्यायिक नजीरों में धारित किया गया है कि '' जहां खातेदारी अधिकारों का निर्णय होना है, दावेदार को पहले राजस्व अदालतों में जाना होगा। राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारों का निर्णय करने के पश्चात ही दीवानी न्यायालय के समक्ष उपहार, विलेख को शून्य घोषित किये जाने हेतु दावा किया जा सकता है। अपीलांट का वाद भी पंजीबद्ध विक्रय विलेख को प्रभावशून्य मानते हुए खातेदारी अधिकारों बाबत होने से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर लागू होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 27/2022 अनवान सहीराम उर्फ सांवरलाल बनाम देरामाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 को खारिज किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते

22-1-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-1-24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर